

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-08/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवि भूषण, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.05.17 से 09.05.17 तक श्री अशोक कुमार, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

- (1)परिचयात्मक:** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री दीपक रावत, ले0प0 श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.08.15 से 06.08.15 तक श्री अमरनाथ साहू लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 05/2009 से 03/2015 तक एवं व्यय हेतु माह 05/2009 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 03/2016 से 03/2017 (वषयक ले0प0) तक एवं व्यय हेतु माह 03/2016 से 03/2017 (लेन देन ले0प0) तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
- (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: - देहरादून
(ii) (अ) **राजस्व विवरण :**

विगत वर्षों मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रु लाख में)
2014-15	शून्य
2015-16	
2016-17	

(ii)(ब) बजट का विवरण:-

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधि व्यय (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	-	-	199.48	194.49	-	4.99
2015-16	-	-	-	-	115.83	106.43	-	9.40
2016-17	-	-	-	-	78.65	66.74	-	11.91

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिव्यय (+)	बचत (-)
← शून्य →					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव वत्त > महानिरीक्षक निबंधन > अपर महानिरीक्षक निबंधन > सहायक महानिरीक्षक निबंधक > उप निबंधक > मुख्य निबंधन ल पक > निबंधन ल पक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :- लेखापरीक्षा इकाई से सूचनाओं का संग्रह किया गया।

राजस्व: माहको विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।(राजस्व प्राप्ति शून्य)

व्यय: माह 04/15 व 03/17 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

शून्य

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 01

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 ` 3.71 लाख का अवरोधन होना।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक संख्या 181/महा0नि0नि0/2010-11 दिनांक 25.05.2010 के द्वारा तहसील प्रांगण कोटद्वार मे उप निबंधक कोटद्वार का विभागीय भवन निर्माण हेतु अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग (नि०ख०) दुगड्डा के द्वारा आगणन प्रस्ताव मे वांक्षित धनराशि ` 99.30 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा, शासन के द्वारा कार्यदायी संस्था से निगोशेशन के पश्चात उक्त कार्य के लिए अगणित लागत की धनराशि ` 85.98 लाख के सापेक्ष मे अपने पत्रांक संख्या 686/xxxvii(9)/स्टाम्प -31/2010 दिनांक 10.09.2010 को प्रथम किस्त ` 25.00 लाख निर्गत किया गया जिसमे कहा गया कि कार्यदायी संस्था से समझौता ज्ञापन (MOU) कर लिया जायेगा, जिससे अवधि एवं निर्धारित लागत मे भवन निर्माण पूर्ण किये जा सके। परन्तु विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (MOU) नही किया है और कार्यदायी संस्था के द्वारा निर्माण कार्य दिनांक 09.04.12 से कार्य प्रारम्भ किया गया है, निर्माण कार्य क्यों विलम्ब से कराया गया विभाग द्वारा अवगत नही कराया गया है, लेखा परीक्षा तिथि तक विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को तीन किस्तो ` 71.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, एवं कार्यदायी संस्था के द्वारा अपने पत्र संख्या: 3535/सी0वी0 दिनांक 07.12.15 के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र मे माह 11/15 तक मे ` 67.29 लाख का व्यय एवं पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत ` 125 (85.98+39.22) लाख करने के लिये भी प्रेषित किया था, जिसकी स्वीकृत विभाग/शासन स्तर पर लम्बित है, वर्तमान मे निर्माण कार्य बन्द है, और उप निबंधक कार्यालय भवन कोटद्वार लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण है।

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर अवगत कराया गया है कि समझौता ज्ञापन (MOU) पत्रावली मे नही है, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ पुनरीक्षित आगणन जिला निबंधक कार्यालय कोटद्वार के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया, जो मेरी संस्तुति के बगैर थी, पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृत शासन स्तर पर लम्बित है एवं शासन द्वारा बजट आवंटन समयानुसार न होने के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण है।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि कार्यदायी संस्था को समय पर भूमि का हस्तांतरण नही किया गया जिससे समय पर कार्य आरम्भ नही हुआ एवं विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था से समझौता ज्ञापन (MOU) नही लिया गया, एवं जिला निबंधक कार्यालय कोटद्वार के द्वारा पुनरीक्षित आगणन बिना कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून की संस्तुति के शासन को सीधे प्रेषित किया जाना, इस प्रकार विभाग द्वारा नियमों का पालन न करना एवं शासन की उदासीनता के कारण भवन पर ` 71.00 लाख की धनराशि निर्गत एवं उसमे से ` 67.29 लाख के व्यय होने के बावजूद भवन निर्माण अपूर्ण है।

अतः ` 3.71 लाख के अवरोधन धनराशि का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: ----शून्य-----
2. **सतत् अनियमितताएं: (राजस्व एवं व्यय से संबन्धित):** ----शून्य-----
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री एम०आर०जोशी	प्रभारी अपर महानिरीक्षक निबन्धन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र